


26.05.25

पत्रावली पेश। उभय पक्ष अधिवक्ता  
श्र.। प्रति सं. 2 व 3 की ओर  
से जवाब पेश नहीं करने पर  
प्रति. सं. 2 व 3 का जवाब लांदा  
किया जाता है। प्रार्थी अधिवक्ता  
द्वारा अपनी बहस में निवेदन किया

(9/11)  
सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

मौजा चौरा दाणी के खेत खसरा  
 नं. 1236 रकबा 6.94 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 105/1643 रकबा 0.24 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 107/1646 रकबा 0.02 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 1231 रकबा 0.01 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 1232 रकबा 0.04 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 1233 रकबा 0.01 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 1234 रकबा 7.24 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 1235 रकबा 0.06 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 1238 रकबा 0.38 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 2452/161 रकबा 2.4179 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 2453/161 रकबा 0.11 हैक्टेयर,  
 ख. नं. 2461/164 रकबा 0.1692 हैक्टेयर

भूमि में न्यायलय द्वारा पूर्व में  
 अंतरिम अस्थाई निर्धारणा जारी की  
 गई, जिसे मूल वाड के मिलना  
 तड अस्थाई निर्धारणा जारी फरमाडे  
 प्रति. सं 2 व 3 के अखिवक्ता श्री  
 सगनाराम चौधरी द्वारा प्रार्थी के  
 प्रार्थना पत्र को अप्रार्थीगण को  
 हटान व परेशान करने की नियत  
 से पेश करना बताया. अतः प्रार्थी  
 का प्रार्थना पत्र प्रप खर्चा जारी  
 फरमाने।

  
 सहायक कलेक्टर, सांचौर  
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

तारीख हुक्म


हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख  
अहकाम जो इस  
हुक्म की तारीख  
में जारी हुए।

हमने उन्नय पक्षकारान अधिवक्ता  
की वक्त सुनी तथा पत्रावली में  
संबन्धन दस्तावेजात का अवलोकन  
किया, प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा  
का संतुलन, अपूर्णता सारि प्रार्थी  
के पक्ष में प्रतीत होने से  
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य  
होने से स्वीकार किया जाता है।

—! आदेश!—

अतः उपरोक्त निवेदन के आधार  
पर मौजा चौरा राणी के क्षेत्र  
खसरा नं. 1236, ख.नं., 105/1643,  
107/1646, 1231, 1232, 1233, 1234,  
1235, 1238, 2452/161, 2453/161,  
2461/164 में अप्रार्थिता मूल  
वाड के निस्तारण तक राजस्व  
रेकॉर्ड व मौजे की रियासति  
बनाये रखे। पत्रावली फैसल कुमार  
होकर नंबर से कम लेकर दाखिल  
दफ्तर हो।

  
सहायक कलेक्टर, सांचौर  
(उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)